न्यायालय श्रीमान् म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर
लिंक कोर्ट सागर

I/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/0669

गोविंद प्रसाद बल्द कन्हैयालाल सोनी,

साकिन– नया बाजार नं. 1 दमोह तह. व जिला दमोह

—— पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी

बनाम्

1. विजय कुमार बल्द विन्द्रावन कुर्मी,
2. विंन्द्रावन बल्द छैकौड़ी कुर्मी,

साकिन– ग्राम सैमरा बुजुर्ग, तह. पथरिया जिला दमोह

—— उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा :– 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक– 27/11/2017 पारित द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर अंदर राजसव अपील क्रमांक– 131अ/6 वर्ष 2015–16 पक्षकार गोविंद प्रसाद सोनी बनाम् विजय कुमार + अन्य जिसमें अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी गई है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी गोविंद प्रसाद सोनी व उसके चाचा जीवन लाल सोनी ने मौजा सैमरा बुजुर्ग हल्का नंबर 26 के खसरा नंबर 457 रकवा 8.016 में से 3.104 हे0 भूमि एवं खसरा नंबर 158 रकबा 1.445 में से 0.405 कुल रकबा 3.509 हे0 भूमि काशीराम बल्द हरिदास बल्द रघुवीर दास बल्द हरिदास कुर्मी साकिन– सैमरा वालों से दिनांक– 08/06/1987 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था

—— 2

गोविंद प्रसाद विरूद्ध विजयकुमार आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक – एफ/निगरानी/दमोह/भू-रा./2018/669 जिला – दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–1–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद जैन उपस्थित । उन्हें प्रकरण की पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	